संख्या–293/XXVII(7)36/2010–11

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांक 9 अक्टूबर, 2020**

विषयः उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–61/XXVII (7)36 /2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा "वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018" का प्रख्यापन किया गया है।

2. वित्तीय अधिकारों की सीमा न्यूनतम होने के कारण छोटे–छोटे निर्माण कार्यों की स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार केन्द्र पोषित योजनाओं के प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किये जाते हैं। शासन स्तर से विलम्ब से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण विकास कार्यों को अपेक्षित गति नहीं मिल पाती है साथ ही वर्तमान में निर्माण सामग्री, मजदूरी, ईंधन आदि की दरों में वृद्धि हुई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में तथा कार्य को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के दृष्टिगत छोटे निर्माण कार्यों एवं लघु निर्माण कार्यों (माइनर वर्क्स) की वर्तमान सीमा को संलग्नक परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या–1 के अनुसार संशोधित/परिवर्धित किये जाने तथा केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अधिकार संलग्नक परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार प्रशासकीय विभाग में प्रतिनिधानित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किए गए वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जायेंगे।

4. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में प्रतिनिहित अधिकार सम्बन्धी शासनादेश संख्या–61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं शासनादेश संख्या–323/XXVII(7)/19-50(07)/2019 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त वर्णित शासनादेशों की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 294/XXVII(7)36/2010–11, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।

File No. R1BDG/7/2024-XVIII-1 Revenue Department (Computer No. 76341)
Generated from eOffice by DINESH RAM, RO-Revenue Section-I-DR, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 21/10/2024 01:17 PM

8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की 200 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. निदेशक, आई.टी.डी.ए. को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन को राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

File No. R-1-BDG/7/2024-XVIII-1-Revenue Department (Computer No. 76341)
Generated from eOffice by DINESH RAM, RO-Revenue Section-1-DR, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 21/10/2024 01:37 PM

शासनादेश संख्या– 293 /XXVII(7)36/2010–11 दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक।

1. विवरण पत्र–4 "ठेके और टेण्डर" में संशोधन–

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	शासनादेश संख्या–434 दिनांक 23–12–2019 द्वारा प्रदत्त परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	1.(क) छोटे निर्माण कार्यों तथा लघु निर्माण कार्यों (Minor works) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	(वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 20,00,000 (रू0 बीस लाख) तक	–तदैव–
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) तक	–तदैव–

क्रमशः 2

File No. R-1-BDG-7/2024-XVIII-1 Revenue Department (Computer No. 76141)

2. विवरण पत्र–4 "ठेके और टेण्डर" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–4 के पश्चात नया कमांक–5

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	प्रस्तावित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
5.	केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	1. वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक। 2. केन्द्र पोषित योजनाओं में पूर्व निर्धारित वित्त पोषण (फण्डिंग पैटर्न) में यदि राज्यांश में वृद्धि हो तो वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। 3. व्यय वित्त समिति (EFC) के सम्बन्ध में नियोजन विभाग के शासनादेश लागू रहेंगे।

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

File No. R-1-BDG-7/2024-XVIII-1-Revenue Department (Computer No. 76341)
Generated from eOffice by DINESH RAM, RO-Revenue Section-1-DR, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 21/10/2024 01:37 PM